विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान
तारांकित प्रश्न संख्या	:	4916
उत्तर की तिथि	:	08–03–2022
विषय	:	उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रश्न	उत्तर
क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगें किः– यह सत्य है कि प्रदेश के स्थाई निवासी जो अपने रोजगार या स्वयं रोजगार के कारण राज्य से बाहर रह रहे हैं, ऐसे प्रदेश वासियों के बच्चे, जिन्हें समूची शिक्षा दूसरे राज्य से ग्रहण करनी पड़ती है, उन्हें वर्ष 2018 के बाद पी0एम0टी0 और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए, प्रदेशवासियों हेतु निर्धारित 85 प्रतिशत कोटे के तहत प्रतिबन्धित किया गया है; यदि हां, तो सरकार ऐसे छात्रों को प्रदेश के कोटे के तहत दाखिला देने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो कारण सहित ब्यौरा दें ?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 4916 का उत्तरः–

जी हां। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हिमाचल प्रदेश के अतंर्गत संचालित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दंत महाविद्यालयों में 85 प्रतिशत राज्य कोटे की एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों एवं निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दतं महाविद्यालयों में क्रमशः 25 प्रतिशत एंव 50 प्रतिशत राज्य कोटा एम.बी.बी.एस./बी. डी.एस. सीटों में राष्ट्रीय पात्रता सह–प्रवेश परीक्षा की वरीयता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा गठित केन्द्रीयकृत कॉउसलिंग समिति द्वारा प्रवेश हेतू प्रदेश के स्थाई निवासी जो अपने रोजगार एवं स्वयं रोजगार के कारण दूसरे राज्य में रह रहे है, और जिनके बच्चों ने समूची शिक्षा दूसरे राज्य से ग्रहण की है, उन्हें अकादमिक सत्र 2018–19 से राज्य कोटे की सीटों के लिए अमान्य माना गया है क्योंकि वर्ष 2018 से प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दंत महाविद्यालयों में 85 प्रतिशत राज्य कोटे की एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों एवं निजी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दतं महाविद्यालयों में क्रमशः 25 प्रतिशत एंव 50 प्रतिशत राज्य कोटा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों में प्रवेश हेतू चार परीक्षाओं में से (8वीं, 10वीं, +1 एवं +2) दो परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित विद्यालयों से पास करना अनिवार्य किया गया।

हांलाकि, ऐसे छात्र 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों में प्रदेश के राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दंत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतू राष्ट्रीय पात्रता सह–परीक्षा की वरीयता के आधार पर प्रवेश ले सकते है जिसकी प्रवेश प्रक्रिया महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, सदस्य सचिव कॉउसलिंग समिति द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जाती है। ऐसे छात्र प्रदेश के निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों एवं दतं महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटे की सीटों हेतू भी पात्र है।

जहां तक अन्य शिक्षा संस्थान जैसे कि आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक महाविद्यालयों में दाखिले का प्रश्न है इसके अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोतर कोर्स में प्रवेश के लिये हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों के बच्चे जिन्होंने समूची शिक्षा दूसरे राज्यों से ग्रहण की हो, भी निर्धारित 85 प्रतिशत कोटे के तहत पात्र हैं । इसके साथ–साथ तकनीकी शिक्षा विभाग में ऐसे प्रदेश के स्थाई निवासी जो अपने

रोजगार या स्वयं रोजगार के कारण राज्य से बाहर रह रहे हैं, ऐसे प्रदेशवासियों के बच्चे, जिन्हे समूची शिक्षा दूसरे राज्य से ग्रहण करनी पडती है, और जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी (Bonafide Himachali) हैं, इनके बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित H.P. State Quota-65% में दाखिला दिया जाता है तथा इसके अतिरिक्त इन प्रदेशवासियों के बच्चे All India Quota-15% तथा Management Quota-15% के तहत भी दाखिले के लिए पात्र हैं और उन्हें प्रवेश परीक्षा/शैक्षणिक योग्यता की वरीयता के आधार पर दाखिला दिया जाता है तथा 5% सीटें Non Resident Indians(NRI) Quota से भरी जाती है। इसके अतिरिक्त Non Resident Indians(NRI) Quota 5% की खाली बची हुई सीटों को काउन्सलिंग के अन्तिम चरण में सामान्य वर्ग से भरा जाता है।

सरकार का ऐसे छात्रों को प्रदेश के कोटे के तहत दाखिला देने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से प्रदेश में पढ़ रहे छात्रों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा।

****